न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 152/2024 जी.सी.एम.एस नं0 2024/269

1. चन्द्रमोहन पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रार्थीः—

बनाम्

1. बृजमोहन पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. उप पंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगणः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः—29.01.2025

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 207 खसरा नम्बर 358/250 रकबा 0.7587 है0, ख.नं. 360/279 रकबा 3.6900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.4487 हैक्टेयर वाके ग्राम जीतावाला प.ह. जीतावाला भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है, प्रार्थी का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा 1/3 — 1/3 है। जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण 1 व 2 अपने—अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण उक्त भूमिवादग्रस्त का कानूनी रूप से विभाजन करवाये बिना एवं कृषि भूमि को कानूनन किसी भी सहकाश्तकार को किसी विशिष्ट भू—भाग को अकेले उपयोग—उपभोग करने, कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने, बेचान करने एवं एक दूसरे के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलदांजी करने का अधिकार नहीं है। दिनांक 26.08.2024 को प्रार्थीगण अपने हिस्से व स्वामित्व की भूमि देखने गये तो उस समय अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 अपने साथ कुछ अज्ञात किस्म के व्यक्तियों को मौके पर लेकर आये एवं उन्हें भूमिवादग्रस्त को बेचान करने के लिए दिखाने लगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से जाकर पूछताछ की तो उन्होने धमकी दी कि भूमिवादग्रस्त पर जबरन निर्माण कार्य कर उसे अकृषि में परिवर्तित करके रहेगे। प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे, ना ही भूमिवादग्रस्त के विशिष्ट भू—भाग का विक्रय करे, ना कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करे तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 02.09.2024 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें से पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 358/250 रकबा 0.7587 है0, ख.नं. 360/279 रकबा 3.6900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.4487 हैक्टेयर वाके ग्राम जीतावाला प.ह. जीतावाला भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सह

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला—जयपुर

खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 2 की सहखातेदारी की आराजी है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलनः</u>— आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है।

3. <u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>— चूंकि विवादित आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द—बुर्द किया जाता है तों दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा।

<u>अतः आदेश है किः—</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ताफैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम जीतावाला स्थित आराजी खसरा नम्बर 358/250 रकबा 0.7587 है0, ख.नं. 360/279 रकबा 3.6900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.4487 हैक्टेयर का बेचान नहीं करें, ना कोई निर्माण करें तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर (राज.)